


रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० ..... उदयपुरवाटी  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार महोदयजी.

निवेदन है कि मुताबिक प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बैंक भंडार प्रार्थी का वास्तविक नाम किशोरी लाल पुत्र जवाहर लाल वर्मा है जबकि प्रारंभिक सवत 2075-78 के खाता सं. 84 में किशोर पुत्र जवाहर लाल वर्मा लिखे हैं। अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार किशोरी लाल पुत्र जवाहर लाल वर्मा की पुष्टि मिल जाना सामोरा है अतः रिपोर्ट उचित आगाम प्रेषित की जावे।


कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी (उदयपुरवाटी)   
 दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है ~~नहीं~~ की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

  
 16/12/21  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)


-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	उदयपुरवाटी	2075-78	84	किशोर पुत्र जवाहर	किशोरी लाल पुत्र जवाहर लाल


नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 2385  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 16/12/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्तो पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी